

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001**

संख्या : सीएसआईआर (रोकड़)/2019-20-वि.

दिनांक : 18.09.2019

परिपत्र

विषय : आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 192 के तहत आयकर में छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 12 BB जमा करने के संबंध में।

यह सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के संबंध में सीएसआईआर मुख्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन आय पर टीडीएस (TDS) की संगणना की जानी है। जो अधिकारी/कर्मचारी आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 192 के तहत आयकर में छूट का दावा करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के साथ संलग्न फॉर्म 12BB विधिवत रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 17 अक्तूबर, 2019 तक रोकड़ अनुभाग (कक्ष संख्या 13) में अंतिम और अनिवार्य रूप से जमा कर दें।

हरिनारायण मीना

(हरि नारायण मीना)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी

अनुलग्नक : यथोक्त

प्रतिलिपि :-

1. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
2. संयुक्त सचिव (प्र.), सीएसआईआर का कार्यालय
3. वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर का कार्यालय
5. सीएसआईआर मुख्यालय के सभी प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष :- इस अनुरोध सहित कि वे इस परिपत्र की विषय-वस्तु को उनके अधीन कार्य कर रहे स्टाफ की जानकारी में लाएँ।
6. प्रमुख, आईटी प्रभाग : कृपया सभी संबंधितों के सूचनार्थ इस परिपत्र को सीएसआईआर वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
7. अनुसंधान भवन के सभी तलों के सूचना-पट्ट
8. कार्यालय प्रति

INCOME-TAX RULES, 1962

FORM NO.12BB
(See rule 26C)

Statement showing particulars of claims by an employee for deduction of tax under section 192

1. Name and address of the employee:
2. Permanent Account Number of the employee:
3. Financial year:

Details of claims and evidence thereof			
Sl. No.	Nature of claim	Amount (Rs.)	Evidence / particulars
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	House Rent Allowance: (i) Rent paid to the landlord (ii) Name of the landlord (iii) Address of the landlord (iv) Permanent Account Number of the landlord Note: Permanent Account Number shall be furnished if the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees		
2.	Deduction of interest on borrowing: (i) Interest payable/paid to the lender (ii) Name of the lender (iii) Address of the lender (iv) Permanent Account Number of the lender (a) Financial Institutions(if available) (b) Employer(if available) (c) Others		

3.	Deduction under Chapter VI-A (A) Section 80C, 80CCC and 80CCD (i) Section 80C (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (ii) Section 80CCC (iii) Section 80CCD (B) Other sections (e.g. 80E, 80G, 80TTA, etc.) under Chapter VI-A. (i) section..... (ii) section..... (iii) section..... (iv) section..... (v) section.....		
Verification			
I,, son/daughter of..... do hereby certify that the information given above is complete and correct.			
Place.....			
Date.....		(Signature of the employee)	
Designation		Full Name:.....	
N.B. :- 1. Kindly attach relevant document(s) in support of claim for tax rebate. In case of non-receipt of relevant documents in support of claim for tax rebate, the claim will not be entertained. 2. The claims for tax rebate on amount of principal or/and interest paid for borrowed home loans must be supported by documents showing possession of the claimant on the house property for which tax rebate is claimed.			